

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)


लेहरू बनाम श्रीमती मेरुम व अन्य

धारा 111-128 एल०आर०ए

Online No. 2022/515
मुकदमा 358/2022

04.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 358 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री लेहरू पुत्र श्री गणेश जाट निवासी रूपाहेली तहसील एवं जिला भीलवाडा-राज0
-प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मेरूम पीनारा पत्नी श्री पीरू पीनारा आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तहसील एवं जिला भीलवाडा-राज0
2. नजुर पुत्र श्री अब्दुल पीनारा,
3. रमजु पुत्र श्री अब्दुल पीनारा,
4. श्रीमती देऊ पत्नी श्री सुखा जाट,
5. भैरू पुत्र श्री सुखा जाट,
6. छीतर पुत्र श्री रामसुख जाट,
7. रामेश्वर पुत्र श्री रामसुख जाट,
8. श्रीमती चान्दू पत्नी स्व0 श्री हरनाथ,
9. गणेश पुत्र श्री नारू बलाई,
10. गोपाल पुत्र श्री नारायण बलाई,
11. श्रीमती जडाई पत्नी श्री नन्दा बलाई,
12. जमना पुत्र श्री ज्वारा बलाई,
13. निर्मला पुत्री श्री नारायण बलाई,
14. परसा पुत्र श्री मांगू बलाई,
15. बद्री लाल पुत्र श्री उरजन बलाई,
16. मदन पुत्र श्री नारू बलाई,
17. माधु पुत्र श्री ज्वारा बलाई,
18. सुखा पुत्र श्री ज्वारा बलाई,
19. श्रीमती समता पत्नी श्री नारायण बलाई,
निवासीयान रूपाहेली, तहसील एवं जिला भीलवाडा-राज0
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा-राज0

-विपक्षीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

उपस्थित-1- पुनीत कुमार शर्मा - प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित खाता संख्या 884 में आराजी नंबर 2760/1986 रकबा 0.1264 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 322 में आराजी नंबर 1112/3 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए। विपक्षी संख्या 20 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 884 में आराजी नंबर 2760/1988 रकबा 0.1264 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 322 में आराजी नंबर 1112/3 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर सुवाणा पटवार हल्का रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 884 में आराजी नंबर 2760/1988 रकबा 0.1264 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 322 में आराजी नंबर 1112/3 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 50/- रुपये तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक दान्थल 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु संक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 दान्थल जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।


(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा